उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या 135/2018/2487/92-2-18-38एम/2018

लखनऊ:: दिनांक:: 15 अक्टूबर 2018

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-रायबरेली में कार्यरत रहने के दौरान अनियमित ढंग से निविदायें आमंत्रित किये जाने तथा निर्माण कार्यो में शिथिल नियंत्रण एवं भ्रष्ट कार्य प्रणाली के लिये प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री आर0के0 सचान, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-रायबरेली के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-फैजाबाद को पदेन जॉच अधिकारी तथा सम्पूर्ण कार्यवाही में विभागीय पक्ष/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड--फैजाबाद को पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) ससमय शासन में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-135/2018/2487(1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र सं0-342/ ग्रा0अ0वि0/नियो0-जांच/शि0-राबयेरली/2018-19 दिनांक 10-09-2018 के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि श्री आर0के0 सचान के विरूद्व आरोप पत्र (02 प्रति में) गठित कर शासन को 03 दिन के अंदर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रा0अभि0विभाग, परि0-फैजाबाद।

3- प्रस्तुतकर्ता अधिकारी/सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-रायबरेली।

4- श्री आर0के0 सचान, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-रायबरेली द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 , लखनऊ।

5- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी0के0 सिंह)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in